राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

<u>आदेश</u>

एकलपीठ सिविल विविध प्रार्थनापत्र संख्या 42/2014
अन्तर्गत
एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 1395/2001
पूरणचन्द बनाम महादेव प्रसाद उर्फ भगवान व अन्य

<u>दिनांक - 31.3.2014</u>

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा</u>

श्री ऋषिपाल अग्रवाल, अधिवक्ता आवेदक।

विपक्षी न्यू इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी की ओर से यह आवेदन प्रस्तुत करके इस न्यायालय से यह प्रार्थना की गयी है कि आवेदक के द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23.11.2013 की अनुपालना में राशि जमा कराये जाने में चार दिवस की देरी हुई है, जिसे माफ किया जावे।

मैनें आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

मैं प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों से संतुष्ट हूं। अत: आवेदक बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए बीमा कम्पनी द्वारा आदेश दिनांक 23.11.2013 की अनुपालना में राशि जमा कराये जाने में जो चार दिवस की देरी हुई है उसे माफ किया जाता है एवं बीमा कम्पनी द्वारा जमा करायी गयी राशि को इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश में निर्धारित समय सीमा में जमा करायी गयी माने जाने का आदेश दिया जाता है।

महेशचन्द्र शर्मा
न्यायाधिपति

सुरेश

All corrections made in the judgment /order have been incorporated in the judgment /order being E-mailed.

SK Sharma
PS